राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः प. 05 (09)एम.ई./ग्रुप-1/2017 जयपुर, दिनांकः 20 NOV 2017

1. सचिव,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्,
नेल्सन मंडेला मार्ग,
पाकेट-10, सेक्टर-बी,
वसंत कुंज,
नई दिल्ली 110070

2. रजिस्ट्रार कम सेकेट्री,
फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,
कम्बाईण्ड काउन्सिल बिल्डिंग, कोटला रोड़,
आईवन-ई-गालिब मार्ग, नई दिल्ली।

विषयः- शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नये संस्थान को निरापत्ती प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत।

महोदय,

निर्देशानुसार सत्र 2018-19 में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले फार्मेसी संस्थान को लिये उनके सामने अंकित प्रवेश क्षमता एवं पाठ्यक्रमों के अनुसार निरापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

S. No.	Name of the Trust/Society	Name of the proposed Institute	Intake Capicity	Session for which NOC sought	Course
1.	श्री लाल बहादुर शास्त्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 357 लक्ष्मीनगर, पावटा "बी" रोड़, जोधपुर।	एस0एल0बी0एस0 फार्मेसी कॉलेज, जोधपुर	50	2018-19	डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी0 फार्मा)

सूचित होवें कि उपरोक्त के अलावा संस्था को निजी क्षेत्र में फार्मेसी संस्थान स्थापित किये जाने के अन्य प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निरापत्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हैं।

आशय पत्र/निरापत्ती प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तो के अधीन जारी किया जाता है:-

1. ट्रस्ट/संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम तथा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों की शब्दशः पालना करनी होगी।
2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा एवं राज्य की नीति के अनुसार आरक्षण की पालना करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में संस्थान को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा प्रथम वर्ष की कक्षाऐं चलाने के लिये भवन उपलब्ध होना आवश्यक हैं।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्थान/सोसायटी/ट्रस्ट बाध्य होगी।
5. संस्थान को परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा।
6. संस्थान स्थापना में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमति पत्र वापिस लेने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
7. संस्थान में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्ध प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की

होगी। सम्बन्धित विश्वविद्यालय से इस आशय का पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त संस्थान के लिये प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार कोई अनुदान उपरोक्त संस्थान को देय नहीं होगी।

9. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना चाहने पर राज्य सरकार की निरीक्षण द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण समिति को वांछित समस्त सुविधाऐं प्रदान करने की संस्थान की जिम्मेदारी होगी। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार अपनी अभिशंषा परिषद को भिजवायेगी।

10. सम्पूर्ण योजना की अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की आर्थिक सक्षमता होना आवश्यक हैं।

11. परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिये संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्थान द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराना आवश्यक होगा।

भवदीय

17/11/17

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय (चिकित्सा शिक्षा)।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
5. डीन, फॉर्मेसी कॉलेज, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षणिक) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
7. उप निदेशक (एके0) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
8. सचिव, श्री लाल बहादुर शास्त्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 357 लक्ष्मीनगर, पावटा "बी" रोड़, जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः प.7(63)डीएमई/फार्मा/2015 जयपुर, दिनांकः 06.08.19

निदेशक,
लाल बहादुर शास्त्री एवं प्रशिक्षण संस्थान,
एन.एच. 112, जोधपुर-जयपुर नेशनल हाईवे,
जोधपुर।

विषयः- एस.एल.बी.एस. फार्मेसी कॉलेज को डी.फार्मा कोर्स में सीट अभिवृद्धि हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संस्थान द्वारा इस विभाग में डी.फार्मा कोर्स प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत आवेदन वास्ते अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के संबंध में लेख है कि विभाग द्वारा अपने पूर्व परिपत्र दिनांक 15.03.2017 को विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2019 के द्वारा प्रत्याहारित (Withdraw) कर लिया गया है।

AICTE एवं PCI के विनियमों के प्रावधानानुसार डी.फार्मा कोर्स में सीट अभिवृद्धि हेतु संस्थान को राज्य सरकार से NOC प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस विभाग के स्तर से भी प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

भवदीय,

6-8-19

(आर.एन.शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. रजिस्ट्रार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।

6-8-19

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 7(09)डी.एम.ई./फार्मा/2017 जयपुर, दिनांक 17 JUL 2019

बैठक सूचना

राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित निम्नांकित फार्मेसी महाविद्यालयों की सीटस् अभिवृद्धि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 19.7.2019 को 11.00 AM पर शासन सचिव महोदय, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में उनके कक्ष कमरा नं. 7015 खाद्य भवन, शासन सचिवालय स्थित में बैठक का आयोजन किया गया है:- /

1. श्री लाल बहादुर शास्त्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जोधपुर, द्वारा प्रस्तावित एस.एल.बी.एस. फॉर्मेसी कॉलेज, जोधपुर को डी० फार्मा कोर्स (50 से 60 सीट्स)
2. श्री लक्ष्मीनारायण चेरिटेबल सोसायटी फॉर एज्यूकेशन रिसर्च एन्ड डवलपमेन्ट द्वारा संचालित महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसेज, जयपुर को बी.फार्मा कोर्स (60 से 100 सीट्स)
3. मारवाड़ हैल्थ केयर सोसायटी, सीकर रोड, कुचामन सिटी, नागौर द्वारा संचालित कुचामन फार्मेसी कॉलेज, कुचामन सिटी डी० फार्मा कोर्स (50 से 60 सीट्स)

निम्न अधिकारियों से निवेदन है कि वे उक्त बैठक में यथा दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें:-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	सदस्य
2. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग	सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
4. डीन फार्मेसी, आरयूएचएस, जयपुर	सदस्य
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित सदस्य
1. रजिस्ट्रार राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर
2. निरीक्षण कमेटी के सदस्य

17
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सभी आमंत्रित सदस्यों को सूचित करने का श्रम करें।
3. अध्यक्ष/सचिव, सम्बन्धित संस्था।
4. रक्षित पत्रावली।

7.19
शासन उप सचिव